



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1936 (श0)

(सं0 पटना 935) पटना, मंगलवार, 18 नवम्बर 2014

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

17 नवम्बर 2014

सं0 एफ.एस.सी.-20/2012-1272 (15)—भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन, खाद्य संरक्षा सेवा में नियुक्ति एवं अन्य सेवा-शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय 1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-
 - (1) यह नियमावली “बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014” कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ।- जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
 - (i) ‘सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
 - (ii) ‘विभाग’ से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;
 - (iii) ‘आयोग’ से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
 - (iv) ‘नियुक्ति प्राधिकार’ से अभिप्रेत है बिहार-राज्यपाल;
 - (v) ‘सेवा’ से अभिप्रेत है बिहार खाद्य संरक्षा सेवा;
 - (vi) ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के अंतर्गत खाद्य संरक्षा संवर्ग एवं खाद्य विश्लेषक संवर्ग;
 - (vii) ‘अधिनियम’ से अभिप्रेत है खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम 34, 2006);

- (viii) 'नियमावली' से अभिप्रेत है खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011;
 (ix) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;
 (x) 'केन्द्रीय परीक्षा समिति' से अभिप्रेत है राजस्व परषद, बिहार के अधीन केन्द्रीय परीक्षा समिति; तथा
 (xi) 'खाद्य संरक्षा आयुक्त' से अभिप्रेत है अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित खाद्य संरक्षा आयुक्त।

3. सेवा का गठन।- (1) बिहार खाद्य संरक्षा सेवा राज्य स्तरीय होगी। इस सेवा में निम्नलिखित दो संवर्ग होंगे-

- (क) खाद्य संरक्षा संवर्ग, तथा
 (ख) खाद्य विश्लेषक संवर्ग।

(2) इस सेवा में प्रत्येक संवर्ग में कोटिवार पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा, समय-समय पर, स्वीकृत की जाय।

4. सेवा के पद-सोपान।- इस सेवा के प्रत्येक संवर्ग में विभिन्न कोटियों एवं पदसोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे।

अध्याय 2: भर्ती

5. भर्ती।- (1) इस सेवा में नियुक्ति मूल कोटियों के पदों (खाद्य संरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक) पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

(2) (क) बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के दोनों संवर्गों में सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट-1 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

(ख) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, निर्धारित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

6. भर्ती की प्रक्रिया।- (1) विभाग वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अध्याचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अध्याचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा-

(क) खाद्य संरक्षा अधिकारी-

- | | | |
|---|---|---------------|
| (i) परिशिष्ट-1 में अर्हता के स्तम्भ में वर्णित विषयों में | | |
| बैचलर या समकक्ष डिग्री में प्राप्तांक के लिए | - | 80 अंक |
| (ii) साक्षात्कार के लिए | - | 20 अंक |
| | | कुल - 100 अंक |

टिप्पणी:- बैचलर या समकक्ष डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जानेवाला अंक उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा करके विनिश्चित किया जायेगा। अर्थात्, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50\% \times 0.8 = 40$ अंक दिये जायेंगे।

(ख) खाद्य विश्लेषक-

- | | | |
|---|---|---------------|
| (i) परिशिष्ट-1 में अर्हता के स्तम्भ में वर्णित विषयों में | | |
| बैचलर या समकक्ष डिग्री में प्राप्तांक के लिए | - | 80 अंक |
| (ii) साक्षात्कार के लिए | - | 20 अंक |
| | | कुल - 100 अंक |

टिप्पणी:- बैचलर या समकक्ष डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जानेवाला अंक उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा करके विनिश्चित किया जायेगा। अर्थात्, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50\% \times 0.8 = 40$ अंक दिये जायेंगे।

(3) साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोग के द्वारा अवधारित की जायेगी।

(4) उप-नियम (2) के आधार पर मेधा सूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा, विभाग के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अधिसूचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अन्तिम अनुशंसा विभाग को भेजी जायेगी। विभाग के स्तर पर भी प्रमाण पत्रों की जाँच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त सत्यापन करा लिया जायेगा।

(5) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय 3: परिवीक्षा / विभागीय परीक्षा / सम्पुष्टि

7. परिवीक्षा।- नियुक्ति के उपरान्त परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो सरकार ऐसे खाद्य संरक्षा अधिकारी / खाद्य विश्लेषक को सेवामुक्त कर सकेगी।

8. प्रशिक्षण।- (1) परिवीक्षा अवधि में खाद्य संरक्षा आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी संस्था या संस्थान के अधीन प्रशिक्षण और कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) खाद्य संरक्षा अधिकारी / खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को समय-समय पर खाद्य संरक्षा आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता वाले सभी सेवाकालीन आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा।

9. विभागीय परीक्षा।- परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने और प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) के सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त, विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम, केन्द्रीय परीक्षा समिति के परामर्श से, विभाग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

10. सम्पुष्टि।- परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने, प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के उपरान्त खाद्य संरक्षा अधिकारी / खाद्य विश्लेषक को सेवा में सम्पुष्टि किया जा सकेगा।

11. वरीयता।-खाद्य संरक्षा अधिकारी / खाद्य विश्लेषक की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधा सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

अध्याय 4 : प्रोन्नति

12. प्रोन्नति।- (1) सेवा में सम्पुष्टि खाद्य संरक्षा अधिकारी / खाद्य विश्लेषक को, रिक्तिकी उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता एवं वरीयता के अनुसार परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्रोन्नति के सोपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्रि या पी0ए0आर0, आरोप/ विभागीय कार्यवाही / आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

13. विभागीय प्रोन्नति समिति।- प्रोन्नतियों, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय हो सकेंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप वही होगा जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, सेवा विभागों के लिए निर्धारित किया जाय;

परन्तु यह कि अधिकतम ग्रेड-पे के पदों पर प्रोन्नति हेतु विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के द्वारा की जायेगी।

अध्याय 5: प्रकीर्ण

14. आरक्षण।- सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा, समय-समय पर, सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु, निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

15. परिशिष्ट-1 में अंकित पद-सोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होंगे। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित पद सोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट-1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद-सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

16. परिशिष्ट-1 में उल्लिखित इस सेवा के दोनों संवर्गों के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से, नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

17. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता / नियमावली /संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

18. कठिनाई का निराकरण।- यदि इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग, विधि विभाग के परामर्श से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण कर सकेगा।

19. निर्वचन।- यदि इस नियमावली के किसी उपबन्ध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय उत्पन्न हो तो विभाग विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, एक विनिश्चय कर सकेगा और वह अंतिम विनिश्चय होगा।

20. निरसन एवं व्यावृत्ति।- (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत नियमावली, संकल्प, अनुदेश, आदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, वैसी नियमावली, संकल्प, अनुदेश, आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या उसके अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट-1

(देखें नियम 2(ix), 4, 5, 12, 15, 16)

बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के पद-सोपान, शैक्षणिक अर्हताएँ, आदि

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	अर्हता
1	2	3	4	5
I. खाद्य संरक्षा संवर्ग -				
1.	मूल कोटि	खाद्य संरक्षा अधिकारी	सीधी भर्ती द्वारा	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलोजी या डेयरी टेक्नोलोजी या बायो-टेक्नोलोजी या ऑयल टेक्नोलोजी या एग्रिकल्चर साइन्स या वेटेरीनरी साइन्स या बायो-केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलोजी में डिग्री; अथवा केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री; अथवा मेडिसिन में डिग्री; अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष / मान्यता प्राप्त अर्हता ; एवं ii) फूड अँथोरिटी द्वारा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित, किसी संस्था या संस्थान में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो।
2.	प्रथम सोपान	सहायक अभिहित अधिकारी	प्रोन्नति द्वारा	-
3.	द्वितीय सोपान	अभिहित अधिकारी	प्रोन्नति द्वारा	-
4.	तृतीय सोपान	उप खाद्य संरक्षा आयुक्त	प्रोन्नति द्वारा	-

II. खाद्य विश्लेषक संवर्ग -				
1.	मूल कोटि	खाद्य विश्लेषक	सीधी भर्ती द्वारा	i) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलोजी या डेयरी केमिस्ट्री या फूड टेकनोलोजी, फूड ऐंड न्यूट्रीशन में मास्टर्स डिग्री; अथवा डेयरी / ऑयल में बैचलर ऑफ टेकनोलोजी; अथवा वेटेरीनरी साइन्स में डिग्री; अथवा इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्री (इन्डिया) द्वारा फूड एनेलिस्ट खंड में संचालित परीक्षा में उत्तीर्णता द्वारा इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्री (इन्डिया) का कोई एसोशियेट हो; अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित ऐसे प्रयोजनार्थ कोई अन्य समकक्ष अर्हता ; एवं ii) खाद्य विश्लेषण का तीन वर्षों से अन्यून अनुभव।
2.	प्रथम सोपान	वरीय खाद्य विश्लेषक	प्रोन्नति द्वारा	-
3.	द्वितीय सोपान	उप निदेशक (प्रयोगशाला)	प्रोन्नति द्वारा	-

टिप्पणी:-उपर्युक्त सभी कोटियों के वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे सरकार द्वारा, समय-समय पर, पुनरीक्षणिय होंगे।

17 नवम्बर 2014

सं0 एफ.एस.सी.-20/2012-1272 (15) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 17th November 2014

No. F.S.C. 20/2012-1272(15)—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to regulate the appointment and service-conditions in the Food Safety Service under the Health Department:-

Chapter-1: PRELIMINARY

1. **Short title, extent & commencement** .- (1) These Rules may be called as the "Bihar Food Safety Service Rules, 2014".
2. It shall extend to the whole of the state of Bihar.
3. It shall come into force at once.
2. **Definitions.** – Unless otherwise required in the subject or context, in these Rules –
 - (i) 'Government' means Bihar State Government;
 - (ii) 'Department' means Health Department;
 - (iii) 'Commission' means Bihar Public Service Commission;
 - (iv) 'Appointing Authority' means Governor of Bihar;
 - (v) 'Service' means Bihar Food Safety Service;
 - (vi) 'Cadre' means Food Safety Cadre and Food Analyst Cadre;
 - (vii) 'Act' means The Food Safety and Standards Act, 2006 (Central Act 34 of 2006);
 - (viii) 'Rules' means Food Safety and Standards Rules, 2011;

- (ix) 'Appendix' means appendix appended to these Rules;
- (x) 'Central Examination Committee' means the Central Examination Committee under the Board of Revenue, Bihar; and
- (xi) 'Commissioner of Food Safety' means the Commissioner of Food Safety as defined under the Act.
- 3. Constitution of Service.** – (1) The Bihar Food Safety Service shall be a state level service. In this service, there will be two cadres, namely -
- (a) Food Safety Cadre, and
- (b) Food Analyst Cadre.
- (2) In this service, the number of categorywise posts in each cadre shall be as many as are sanctioned by the government, from time to time.
- 4. Chain of posts of the Service .–** Different categories and chain of posts in each cadre of this service shall be according to Appendix-1.

Chapter 2 : RECRUITMENT

- 5. Recruitment .–** (1) The appointment in this service shall be made by direct recruitment to the basic category posts (Food Safety Officer and Food Analyst) on the basis of recommendation of the Commission.
- (2) (a) For direct recruitment in both the cadres of the Bihar Food Safety Service, minimum educational qualification shall be as specified in Appendix -1.
- (b) For direct recruitment, minimum age-limit shall be 21 years and the maximum age – limit shall be the same as may be determined reservation categorywise, from time to time, by the Government. (General Administration Department). 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.
- 6. Procedure for recruitment .–** (1) The Department, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission latest by 30th April.
- (2) In light of requisition, the Commission shall invite applications by advertising vacancies and shall prepare merit list on the basis of following :–
- (a) Food Safety Officer –
- (i) For marks obtained in Bachelor or equivalent Degree in the subjects mentioned in Qualification column of Appendix-1 - 80 Marks
- (ii) For Interview - 20 Marks
- Total - 100 Marks

Note: The marks to be given to a candidate for bachelor or equivalent degree shall be determined by multiplying percentage of marks obtained in the examination of aforesaid course by multiple of 0.8. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given $50\% \times 0.8 = 40$ marks.

- (b) Food Analyst –
- (i) For marks obtained in Bachelor or equivalent Degree in the subjects mentioned in the Qualification column of Appendix-1 - 80 Marks
- (ii) For Interview - 20 Marks
- Total - 100 Marks

Note: The marks to be given to a candidate for bachelor or equivalent degree shall be determined by multiplying percentage of marks obtained in the examination of aforesaid course by multiple of 0.8. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given $50\% \times 0.8 = 40$ marks.

- (3) Procedure for interview shall be determined by the Commission.
- (4) After preparing merit list on the basis of sub-rule (2), preliminary scrutiny of the certificates and medical checkup shall be conducted by the Commission with the co-operation of the Department, and thereafter, reservation category wise final recommendation, in accordance with the requisitioned vacancies, shall be sent to the Department. At the level of Department also, antecedents of candidates shall be caused to be verified after scrutiny of certificates.
- (5) After recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government from time to time, with respect to procedure of appointment, shall be necessary.

Chapter 3: PROBATION / DEPARTMENTAL EXAMINATION / CONFIRMATION

7. **Probation Period.**— After appointment, the probation period will be of two years. In case, the service during probation period is not found satisfactory, the probation period will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the Government may terminate service of such Food Safety Officer / Food Analyst.
8. **Training** .— (1) During probation period, it will be necessary to get training and treasury training under an institute or institution as specified by the Commissioner of Food Safety.
 - (2) Persons appointed as Food Safety Officer / Food Analyst shall have to undergo all specialized in - service training programmes as specified by the Commissioner of Food Safety, from time to time.
9. **Departmental Examination** .— In addition to satisfactorily completing probation period and successfully completing training (including treasury training), it will be necessary to pass in the Departmental Examination also. The syllabus of Departmental Examination will be determined by the Department, in consultation with the Central Examination Committee.
10. **Confirmation** .— After satisfactory completion of probation period, successful completion of training and passing of Departmental Examination, a Food Safety Officer / Food Analyst may be confirmed in the service.
11. **Seniority** .— The inter-se- seniority of Food Safety Officer / Food Analyst shall be determined according to the merit list prepared by the Commission.

Chapter 4: PROMOTION

12. **Promotion** .— (1) Subject to availability of vacancy, Food Safety Officer / Food Analyst confirmed in service may be considered to be promoted in the chain of posts mentioned in Appendix-1, according to merit-cum seniority.
 - (2) Compliance of instructions issued by the Government regarding KALAWADHI for promotion, from time to time, shall be necessary.
 - (3) Compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to promotion and Character Roll / P.A.R. allegation / departmental proceeding / criminal proceeding, etc. shall be required at the time of consideration of promotion.
13. **Departmental Promotion Committee** .— Promotions may be considered on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The structure of the Departmental Promotion Committee will be the same as may be determined by the Government for Service Departments, from time to time:

Provided that the meeting of the Departmental Promotion Committee to consider promotion in the maximum grade – pay shall be presided over by the Chairman or any Member of the Commission.

Chapter 5: MISCELLANEOUS

- 14. Reservation .-** Compliance of Reservation Act of the Government and reservation-roster for direct recruitment and promotion, issued by the Government, from time to time, shall be necessary.
- 15.** The chain of posts mentioned in Appendix-1 shall be effective only after approval of the Government. If, in course of consideration of approval, any modification or amendment is made by the Government in the chain of posts mentioned in Appendix-1, then the Appendix-1 shall be deemed to be modified or amended accordingly and such modified / amended chain of posts shall be deemed to be the part of these Rules.
- 16.** The personnels already appointed / promoted and working on the posts of both the cadres of this service, mentioned in Appendix-1, before coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre.
- 17.** For the subjects which have not been provided in these Rules, provisions of concerned Codes / Rules / Resolutions / Instructions of the Government shall apply.
- 18. Removal of difficulties .-** If any difficulty arises in implementation of provision of these Rules, the Department may, in consultation with the Law Department remove any such difficulty by general/special order which is not inconsistent with the provisions of these Rules.
- 19. Interpretation .-** If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, the Department may take a decision after consultation with the Law Department, and it will be final decision.
- 20. Repeal & Savings .-** (1) The Rules, Resolutions, Instructions, Orders, etc. issued earlier, from time to time, by the Department, with respect to this cadre, are hereby repealed with effect from the date of coming into force of these Rules.
(2) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken under such Rules, Resolutions, Instructions, Orders, etc. shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if these Rules were in force on the date on which such a work was done or such an action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible,
Joint Secretary to Government.

APPENDIX-1

[See Rule 2(ix), 4, 5, 12, 15, 16]

Hierarchy, educational qualifications etc. of Bihar Food Safety Service

Sl.No.	Category	Name of Post	Direct recruitment or Promotion	Qualification
1	2	3	4	5
I. Food Safety Cadre -				
1	Basic Category	Food Safety Officer	By Direct Recruitment	A Degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agriculture Science or Veterinary Sciences, or Biochemistry or Microbiology; or Master's / Degree in Chemistry; or Degree in Medicine from a

Sl.No.	Category	Name of Post	Direct recruitment or Promotion	Qualification
1	2	3	4	5
				recognized University; or any other equivalent / recognized qualification notified by the Central Government ; and (ii) Has successfully completed training in a recognized institute or institution approved by the Food Authority for training purpose.
2	First Ladder	Assistant Designated Officer	By Promotion	-
3	Second Ladder	Designated Officer	By Promotion	-
4	Third Ladder	Deputy Food Safety Commissioner	By Promotion	-
II. Food Analyst Cadre -				
1	Basic Category	Food Analyst	By Direct Recruitment	Master's Degree in Chemistry or Bio-chemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition; or holds Bachelor of Technology in Dairy / Oil; or holds degree in Veterinary Sciences from a University established in India by law; or is an Associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India); or any other equivalent qualification recognized and notified by the Central Government for such purposes ; and ii) Has not less than three years experience in the analysis of food.
2	First Ladder	Senior Food Analyst	By Promotion	

Sl.No.	Category	Name of Post	Direct recruitment or Promotion	Qualification
1	2	3	4	5
3	Second Ladder	Deputy Director (Laboratory)	By Promotion	

Note: —The Pay-Band and Grade – Pay of all aforesaid categories shall be revisable by the Government, from time to time.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 935-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>